

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,**  
**चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

दांडिक प्रकरण कं.-97/15  
संस्थापित दिनांक-23.06.2015  
Filling no-235103004932015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- मेहमूद बेग मिर्जा पुत्र मिर्जा कलंदर उम्र 50 साल 2- फिरोज बेग मिर्जा पुत्र कलंदर बेग उम्र 45 साल 3- फिरदौस बेग मिर्जा पुत्र कलन्दर बेग उम्र 35 साल 4- शेख मुख्तार अली पुत्र अब्दुल हफीज उम्र 30 साल निवासीगण - ग्राम मैदान गली चंदेरी .....आरोपीगण

-: **निर्णय** :-

**(आज दिनांक 11.08.2017 को घोषित)**

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324, 324/34, 324/34, 323 विकल्प 323/34, 341, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 23.02.2015 को समय सुबह 10:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी आंगन मैदान गली स्थित शामलाती पुस्तैनी मकान लोक स्थल पर मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित किये, जिससे परिवादी तथा अन्य को क्षोभ कारित किया तथा परवेज को तलवार जोकि काटने का उपकरण है से उपहति कारित की एवं अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत लकी मिर्जा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत लकी मिर्जा को लुहांगी जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहति कारित की तथा अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत परवेज को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत परवेज को तलवार जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहति कारित की एवं परिवादी/आहत बेबू मिर्जा को स्वेच्छया उपहति कारित की **विकल्प** अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत बेबू मिर्जा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत बेबू मिर्जा को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा परिवादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध किया तथा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**02—** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक **11.08.2017** को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण मेहमूद बेग मिर्जा, फिरोज बेग मिर्जा, फिरदौस बेग मिर्जा, शेख मुख्तार अली को भा.द.वि की धारा 294, 323 विकल्प 323/34, 341, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

**03—** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी लकी बेग, आहत बेबू मिर्जा के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 23.02.2015 को सुबह करीब 11 बजे की बात है उसका तथा मेहबूब बेग की बाखर एक ही है जो सामलाती है। उसके आंगन में फिरोज बकरा बाधने को टपरा बनाना चाह रहा था, तब उसने मना किया और कहा यहां टपरा मत बनाओ, आंगन में वैसे ही उठने में परेशानी होगी, तभी इतने में मुख्तार अली, मेहमूद बेग, फिरदौस आ गये चारो ने उसे मां बहन की बुरी-बुरी गालिया दी और कहा की वह तो टपरा यहीं बनायेगा। उसने गाली देने से मना किया तभी फिरदौस ने लुहांगी की मारी जो उसके सिर में लगी चोट लगकर खून निकला। उसे बचाने बेबू मिर्जा, परवेज आ गये तो चारो ने डण्डा से बेबू मिर्जा से मारपीट की। मेहमूद बेग मिर्जा ने तलवार मारी जो परवेज के डेरे हाथ में गद्दी में लगी, खून निकल आया। बृजेश, नारायण, गुलफाम ने घटना देखी है। थाने पर रिपोर्ट करने आने लगा तो चारो ने रास्ता रोककर कहा कि उसे टपरा बनाने से रोक तो जान से खतम कर देगे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-**

<b>1.</b>	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23.02.2015 को समय सुबह 10:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी आंगन मैदान गली स्थित शामलाती पुस्तैनी मकान लोक स्थल पर परवेज को तलवार जोकि काटने का उपकरण है से उपहति कारित की ?
<b>2.</b>	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत लकी मिर्जा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत लकी मिर्जा को <b>लुहांगी</b> जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहति कारित की ?
<b>3.</b>	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण के साथ

	परिवादी/आहत परवेज को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत परवेज को <b>तलवार</b> जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहति कारित की ?
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**06—** विचारणीय प्रश्न क्र० 1, 2 व 3 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी लकी बेग अ०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 2 साल पहले की होकर सुबह 10:30 बजे की है। घटना दिनांक की बात है उसका तथा आरोपी मेहमूद बेग की एक ही बाखर है जोकि शामिलती है उसके आंगन में फिरोज बकरा बाधने को टपरा बनाना चाह रहा था, जिसके लिये उसने कहा था कि यहां टपरा मत बनाओ, आंगन में बैठने में परेशानी होगी, इतने में मुख्तार अली, मेहफूज बेग, फिरदोस बेग भी आ गये और कहने लगे की टपरा यही बनायेगे और उक्त चारो लोग उसके साथ गाली गलौच करने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो उसके साथ वाद विवाद करने लगे। गाली गलौच एवं वाद विवाद की आवाज सुनकर घटना स्थल पर बेबू मिर्जा और परवेज मिर्जा आ गये थे जिनके साथ भी आरोपीगण ने गाली गलौच एवं वाद विवाद किया था एवं आरोपीगण से धक्का मुक्की में उसे, बेबू मिर्जा और परवेज मिर्जा को मामूली चोटें आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में उसने बेबू मिर्जा तथा परवेज के साथ थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो **प्र. पी. 1** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी बेबू मिर्जा उर्फ मासूम बेग, परवेज की चोटों का इलाज कराया था और पूछताछ कर पुलिस ने उनके बयान लिये थे। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना स्थल का नक्शामौका **प्र.पी.2 तैयार किया** था।

**07—** अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि फिरोज मिर्जा ने उसे लुहांगी मारी जो सिर में लगी, चोट लगकर खून निकल आया। इस बात से इंकार किया कि उसे बचाने आये चाचा बेबू उर्फ मासूम बेग व परवेज मिर्जा को मेहमूद बेग मिर्जा ने चाचा परवेज के तलवार मारी जो उनके देडे हाथ में लगी खून निकल आया। इस बात से इंकार किया कि बेबू उर्फ मासूम बेग को चारो ने डण्डे मारे जो पीछे कंधे व पीठ में मुंदी चोट आई थी। इस बात से इंकार किया कि मौके पर मुस्ताक खान व बृजेश नारायण आ गये थे जिन्होंने बीच बचाव किया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 व पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि उसने ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। साक्षी द्वारा अभियोजन के इस सुझाब को स्वीकार किया कि उसका तथा बेबू मिर्जा और परवेज मिर्जा का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। इस बात

से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि टपरा बनाने की बात को लेकर आरोपीगण से गाली गलौच व वाद विवाद हो गया था। इस बात को भी स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके, बेबू तथा परवेज के साथ कोई मारपीट नहीं की।

**08—** अभियोजन साक्षी परवेज बेग अ0सा02, मासूम बेग अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनो मे बताया कि वह आरोपीगण को जानते है। घटना दिनांक को फरियादी लकी बेग तथा उनका आरोपीगण के साथ गाली गलौच एवं वाद विवाद हो गया था जिसमें उन्हें मामूली चोटे आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है तथा साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण द्वारा लाठी, लोहांगी और तलवार से मारपीट की गई थी। परवेज बेग अ0सा02, मासूम बेग अ0सा03 को उनका पुलिस कथन कमशः प्र.पी. 2 व 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षीगण का कहना है कि ऐसा कथन उन्होंने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकते।

**09—** अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी लकी बेग तथा आहत परवेज बेग, मासूम बेग उर्फ बेबू मिर्जा द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि गाली गलौच एवं वाद विवाद मे उन्हें मामूली चोटे आ आई थी। आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अतः अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23.02.2015 को समय सुबह 10:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी आंगन मैदान गली स्थित शामलाती पुस्तैनी मकान लोक स्थल पर परवेज को तलवार जोकि काटने का उपकरण है से उपहति कारित की एवं अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत लकी मिर्जा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत लकी मिर्जा को **लुहांगी** जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहति कारित की तथा अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत परवेज को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत परवेज को **तलवार** जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपीगण मेहमूद बेग मिर्जा, फिरोज बेग मिर्जा, फिरदौस बेग मिर्जा, शेख मुख्तार अली के विरुद्ध धारा 324, 324/34, 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**10—** अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**11—** प्रकरण में निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

**12—** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0